छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–1/2017/1–3 नया रायपुर, दिनांक 04/07/2017

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)/ संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार), **(नाम से)** छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, **(नाम से)**
3. समस्त संभागायुक्त, **(नाम से)**
4. समस्त कलेक्टर, **(नाम से)** **छत्तीसगढ़.**

विषयः– **50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु उनके सेवा अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा करने बाबत् निर्देशों का पालन किया जाना।**

संदर्भः– सा.प्र.वि. का परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2017/1–3, दिनांक 25.4.2017 एवं मेरा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 983/सीएस/2017, दिनांक 29.4.2017.

राज्य शासन द्वारा लिये गए निर्णयानुसार प्रतिवर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई की स्थिति में 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में मूलभूत नियम 56 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के अधीन उनके सेवा अभिलेखों की छानबीन सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालय में गठित छानबीन समिति द्वारा की जाकर समीक्षा की जाना है। साथ ही पालन प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करना है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.4.2017 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए हैं एवं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा भी सभी विभागों को लिखा गया है।

2/ उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में 1 जुलाई की स्थिति में अर्ह शासकीय सेवकों की छानबीन की कार्यवाही 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर उसका पालन प्रतिवेदन 5 अगस्त तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करना है।

.......2

3/ मुझे पूर्ण विश्वास है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में गठित छानबीन समिति द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों, जो 1 जुलाई, 2017 की स्थिति में 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करेंगे, उनके सेवा अभिलेखों की छानबीन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई होगी। कृपया उसका पालन प्रतिवेदन 5 अगस्त, 2017 तक अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

4/ तदोपरांत आपके द्वारा की गई कार्यवाही की मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी।

4/7/17

(विवेक ढाँड)
मुख्य सचिव